न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

विविध वाद सं0 01/2023

भृगुनाथ राम वगै0................................आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार वगै0...............................विपक्षीगण।

आदेश

01-03-2025 आवेदक की हाजिरी है। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। आवेदक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–02.09.2024 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के विपक्षी सं0 08 रामभगवान पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 30.03.2023 को हो गई है तथा अनुरोध करते है कि मृत विपक्षी सं0 08 रामभगवान पाण्डेय का नाम इस वाद से कलमजद करते हुए उनके कानूनी वारीसान हरेन्द्र पाण्डेय उर्फ दुदुल पाण्डेय, मनोज पाण्डेय का नाम उनके जगह पर प्रतिस्थापित किया जाय। आवेदक द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि माफ करने हेतू धारा 05 परिसीमा अधिनियम का आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–06.01.2025 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के आवेदक सं0 05 बिहारी राम की मृत्यु दिनांक 31.08.2024 को हो गई है तथा आवेदक सं0 20 शिव बदन यादव की मृत्यु दिनांक 12.11.2024 को हो गई है तथा आवेदक सं0 26 मोहन यादव की मृत्यु दिनांक 04.11.2024 को हो गई है तथा अनुरोध करते है कि मृत आवेदक सं0 05 बिहारी राम, आवेदक सं0 20 शिव बदन यादव तथा आवेदक सं0 26 मोहन यादव का नाम इस वाद से कलमजद करते हुए उनके कानूनी वारीसान का नाम आवेदन के अनुसार उनके जगह पर प्रतिस्थापित किया जाय। आवेदक द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि माफ करने हेतू धारा 05 परिसीमा अधिनियम का आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अवलोकन किया। उक्त दोनो आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। इस वाद में विपक्षी उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में आवेदक के तरफ से दोनो प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की

लगातार

01.03.2025 अवधि को मो0 200/– दो सौ रूपये प्रत्येक आवेदन के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–02.09.2024 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0 पी0 सी0 तथा आवेदन दिनांक–06.01.2025 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। आवेदक दोनों खर्चे की अदायगी जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर में करें। कार्यालय खर्चे की अदायगी के पश्चात मृत विपक्षी सं0 08 रामभगवान पाण्डेय का नाम इस वाद से कलमजद करें तथा उनके स्थान पर उनके कानूनी वारीसान हरेन्द्र पाण्डेय उर्फ दुदुल पाण्डेय, मनोज पाण्डेय का नाम प्रतिस्थापित करें तथा मृत आवेदक सं0 05 बिहारी राम का नाम इस वाद से कलमजद करें तथा उनके स्थान पर उनके कानूनी वारीसान चन्द्रमा राम का नाम प्रतिस्थापित करें आवेदक सं0 20 शिव बदन यादव का नाम इस वाद से कलमजद करें तथा उनके स्थान पर उनके कानूनी वारीसान ललन यादव, गोपाल यादव, रमेश यादव तथा हरे राम यादव का नाम प्रतिस्थापित करें तथा आवेदक सं0 26 मोहन यादव का नाम इस वाद से कलमजद करें तथा उनके स्थान पर उनके कानूनी वारीसान विनोद यादव का नाम प्रतिस्थापित करें। आवेदक नये प्रतिस्थापित विपक्षीगण की उपस्थिति हेतू आवश्यक अपेक्षिकाएं दाखिल करें। तत्पश्चात कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–03.05.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमराँव (बक्सर)